न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—171/2019/225 (2019/00171)

1. सांवरलाल पुत्र जगदीश, जाति जाट, निवासी एकलसिंहा, तह0 केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नाथीदेवी पत्नि महावीर,
2. भंवरीदेवी पत्नि भागचन्द,
3. लाड देवी पत्नि गुलाबचन्द,
   जाति धोबी, निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 29.1.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 08/2018.

उपस्थितः—

1. श्री आर0पी0शर्मा एवं श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 21.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 29.1.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 1272 एवं 1273 में जाने के लिये खसरा नंबर 1270 में से 30 फीट का रास्ता दिलाया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार किया तथा कथन किया कि विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 29.1.2019 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 3/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय,

नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी में जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता मौजूद है जो कि खसरा नंबर 1270 के पहले एवं रास्ते के बीच में पड़ी खाली जगह जो कि खसरा नंबर 1270 के पश्चिम की तरफ पड़ती है, में से होते हुए उत्तर की तरफ जाकर पूर्व की तरफ जाता है जो खसरा नंबर 1270 के निकट खसरा नंबर 1270 के अलावा अन्य भूमि में से होकर रास्ता है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दू पर गौर न कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई है जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वंय तहसलदार को मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर अधी0न्याया0 ने गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 का निर्णय एकपक्षीय मौका रिपोर्ट पर आधारित है जबकि मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की जानी चाहिये थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने जवाब पेश किया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आदेशिका में कहीं भी इसका अंकन नहीं किया है न ही अपने निर्णय में अपीलांट के जवाब का हवाला ही दिया है । रेस्पो0 ने खसरा नंबर 1270 के उत्तर की तरफ की खातेदारी वाले खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जिस कारण भी प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 विवादित आराजी खसरा नंबर 1272 एवं 1273 के खातेदार काश्तकार है । उक्त आराजियात में आवागमन हेतु कदीमी समय से एक मात्र रास्ता अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1270 की दक्षिणी मेड़ पर से होकर ही रहा है जिसका वह कदीमी समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जो भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जो नियमानुसार है । उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण खसरा नंबर 1270 की मेड़ से आते जाते थे, प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खेत से निकटतम सरकारी रास्ते से लघुतम दूरी से सुविधा जनक रास्ता प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता ही है। अधी0न्याया0 ने उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.2018 के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 980, आर0एल0डब्ल्यू0 2016 (1) पेज 684, आर0आर0डी0 2016 पेज 300 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 ग्राम नायकी के खसरा नंबर 1272 रकबा 2.40 है0 एवं खसरा नंबर 1273 रकबा 0.76 है0 प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उक्त आराजियात में आवागमन हेतु कदीमी रास्ता पूर्व विक्रेता के समय से ही प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट

की आराजी खसरा नंबर 1270 की दक्षिणी मेड पर से होकर ही था तथा वर्तमान में भी उक्त कदिमी रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजियात में आते जाते है । अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है । प्रतिवादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 16.8.2018 को मौका रिपोर्ट तलब की गई । उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, जूनिया द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.2018 अधी0न्याया0 को प्रेषित की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.2018 में भू–अभिलेख निरीक्षक, जूनिया ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि '' प्रार्थीगण खसरा नंबर 1270 की मेड़ से आते–जाते थे, प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है । प्रार्थी के खेत में निकटतम दूरी केकड़ी–एकलसिंहा मार्ग गुजरता है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खेत से निकटतम सरकारी रास्ते से लघुतम दूरी से सुविधाजनक रास्ता प्रार्थीगण द्वारा आवेदित ही है । '' उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1272 एवं 1273 में आवागमन के लिये अपीलांट के खेत खसरा नंबर 1270 की दक्षिणी मेड़ के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण/रेस्पो0 को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि विवादित रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है । इस संबंध में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.2018 भू–अभिलेख निरीक्षक, जूनिया द्वारा तैयार की गई है । राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 251–ए के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये बनाये गये नियम 69 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार नहीं हो सकती है । हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.2018 भू–अभिलेख निरीक्षक, जूनिया द्वारा तैयार की गई है जिससे अपीलांट द्वारा उठाया गया ऐतराज सारहीन है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 8.8.2018 के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.1.2019 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर